"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 569] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2015— अग्रहायण 26, शक 1937

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 26, 1937)

क्रमांक-11337/वि. स./विधान/2015 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 36 सन् 2015) जो गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 36 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015

छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2015) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. (1) छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2015), (जो इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 के खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ङ) "निक्षेप" में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद या अन्यथा नकद या वस्तु या विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में कोई लाभ-सहित या लाभ-रहित वापसी के आशय से किसी वित्तीय स्थापना द्वारा जनता से धन की प्राप्ति, किसी मूल्यवान वस्तु का प्रतिग्रहण या किसी चल सम्पत्ति का प्रतिग्रहण, सम्मिलित हैं और सदैव सम्मिलित समझा जायेगा किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं-

(एक) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का सं. 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं बनाये गये विनियमों के अधीन आने वाले शेयर पूंजी के माध्यम से या डिबेंचर, बॉन्ड या किसी अन्य लिखत के माध्यम से उगाही गई कोई राशि;

(दो) किसी फर्म के भागीदारों से पूंजी के अंशदान के रूप में अभिप्राप्त कोई राशि;

(तीन) अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का सं. 10) की धारा 5 के खंड (ग) में यथा परिभाषित किसी अन्य बैंकिंग कम्पनी से अभिप्राप्त कोई राशि;

(चार) निम्नलिखित से अभिप्राप्त कोई राशि-
(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, या
(ख) राज्य वित्तीय निगम, या
(ग) कोई अन्य संस्था जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये;

(पांच) कारोबार के सामान्य अनुक्रम में निम्नलिखित रूप से अभिप्राप्त कोई राशि-
(क) प्रतिभूति निक्षेप, या
(ख) व्यवहारी निक्षेप, या
(ग) अग्रिम धन, या
(घ) आदिष्ट माल या सेवा के विरुद्ध दिया गया अग्रिम;

(छ:) राज्य में तत्समय प्रवृत्त साहूकारी से संबंधित किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति या फर्म या व्यष्टिसंगम से अभिप्राप्त कोई राशि;

(सात) किसी फर्म, कंपनी या किसी अन्य कृत्रिम विधिक व्यक्ति से अभिप्राप्त कोई ऋण या उधार; और

(आठ) चिट के संबंध में अभिदान के रूप में अभिप्राप्त कोई राशि.

स्पष्टीकरण एक- "चिट" का वही अर्थ है जो चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का सं. 40) की धारा 2 के खंड (ख) में उसके लिये समनुदेशित है.

स्पष्टीकरण दो-किसी विक्रेता द्वारा किसी सम्पत्ति (चाहे वह चल या अचल हो) की बिक्री पर क्रेता को दिये गये किसी जमा धन या अग्रिम को इस खण्ड के प्रयोजन के लिए निक्षेप नहीं समझा जायेगा."

(2) मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) में, शब्द "कम्पनी" के स्थान पर, शब्द " वित्तीय स्थापना" प्रतिस्थापित किया जाये.

(3) मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ज) "वित्तीय स्थापना" से अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति जिसमें उक्त स्थापना के निदेशक, संप्रवर्तक, भागीदार, प्रबंधक या सदस्य भी सम्मिलित हैं जो किसी योजना या व्यवस्था के अधीन अथवा किसी अन्य प्रकार से निक्षेप का प्रतिग्रहण करता है किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं-

(एक) बैंकिंग कंपनी जो कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का सं. 10) की धारा 5 के खंड (ग) में परिभाषित है; या

(दो) बीमा कंपनी जो कि बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का सं. 4) की धारा 2 के खण्ड (8) में परिभाषित है, जिसे उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र दिया गया है; या

(तीन) किसी अधिनियम द्वारा निगमित निगम; या

(चार) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई सहकारी सोसाइटी; या

(पांच) कोई भी संस्था जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे.

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजन के लिये, शब्द "व्यक्ति" के अधीन निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(एक) कोई व्यष्टि,
(दो) कोई कम्पनी,
(तीन) कोई फर्म,
(चार) कोई व्यक्तिसंगम या व्यष्टिनिकाय चाहे वह निगमित हो या न हो, और
(पाँच) प्रत्येक ऐसे कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो इस स्पष्टीकरण के उप-खण्ड (एक) से (चार) के अंतर्गत नहीं है."

(4) मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(झ) "कपटपूर्ण व्यतिक्रम" से अभिप्रेत है किसी वित्तीय स्थापना का ऐसा कृत्य, जिससे परिपक्वता पर निक्षेप या ब्याज, बोनस, लाभ के रूप में या यथा प्रतिज्ञात किसी अन्य रूप में कोई लाभ प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम होता है अथवा निक्षेप के विरुद्ध आश्वासित, सहमत, प्रतिज्ञात अन्य कोई विशेष सेवा-

(क) किसी एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ एवं अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाने के आशय से, या

(ख) ऐसे निक्षेप के प्रतिग्रहण के समय की गई अव्यहारिक या वाणिज्यिक तौर पर अव्यवहार्य वचन से उदभूत अथवा निक्षेप से अर्जित धन या आस्तियों के ऐसी रीति से अभिनियोजन से, जब आवश्यकता हो, उसकी वसूली में अंतर्निहित जोखिम अंतर्वलित हो, उदभूत अपनी अक्षमता के कारण, उपलब्ध कराने में, विफल रहती हैं."

(5) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"(ट) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(ठ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ड) "अनुसूचित बैंक" से संदर्भित है वे बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 (1934 का सं. 2) की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध है;

(ढ) "पर्यवेक्षी प्राधिकारी" से अभिप्रेत है एवं उसमें सम्मिलित हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, कम्पनियों के पंजीयक, सहकारी सोसाइटी के सभी पंजीयक और सभी अन्य सभी प्राधिकरण जिसे किसी अधिनियम द्वारा सशक्त किया गया हो."

नवीन धारा 4क का अन्तस्थापन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"**4क. विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार.**-इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन मामलों के संबंध में नहीं होगा जहां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का सं. 15) की धारा 11कक के परन्तुक के अधीन क्षेत्राधिकार प्राप्त है."

नवीन धारा 5क, 5ख और 5ग का अन्त:स्थापन.

4. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"**5क. सक्षम प्राधिकारी का शक्तियां.**-(1) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित किया जाये.

(2) इस उप-धारा (1) या विधि के किसी अन्य, उपबंधों के अधीन निहित शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित में से कोई कार्य करने या उप कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करवाने हेतु सशक्त होगा-

(क) किसी भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति से सहायता की अपेक्षा करने और ऐसी अपेक्षा किये जाने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति का, आवश्यक सहायता देने का कर्त्तव्य होगा;

(ख) व्यवसायिक योग्यता रखने वाले कोई व्यक्ति जिसमें चार्टड एकाउन्टेंट और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक सम्मिलित हैं, की सेवाएं संलग्न करने, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे;

(ग) वित्तीय स्थापना से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन किसी विपणन योग्य प्रतिभूति या परक्राम्य लिखत का विक्रय, प्राप्ति, अंतरण, पराक्रमण, पृष्ठांकन करने या अन्यथा संव्यवहार करने और उसका समुचित उन्मोचन करने;

(घ) किसी लोक प्राधिकारी या लोक कार्यालय या कोई अन्य व्यक्ति से वित्तीय स्थापना के बारे में जानकारी, जैसा कि अपेक्षित हो, ले सकेगा या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे लोक प्राधिकारी या लोक कार्यालय या कोई अन्य व्यक्ति, ऐसी जानकारी को, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करेगा; और

(ङ) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, वित्तीय स्थापना के किसी भी व्यक्ति, स्थान, सम्पत्ति, दस्तावेज, लेखा बहियों या ऐसे अन्य कार्यों के सम्बन्ध में जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण सहित सभी कार्रवाई की अपेक्षा करने और ऐसे भारसाधक अधिकारी, यथास्थिति, अपनी जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण प्रतिवेदन, तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा.

5ख. सक्षम प्राधिकारी द्वारा आस्तियों एवं निक्षेप देनदारियों का निर्धारण.-(1) धारा 7 के अधीन अन्त:कालीन आदेश पारित होने के तुरंत बाद, सक्षम प्राधिकारी वित्तीय स्थापना की आस्तियों और निक्षेप देनदारियों का विहित रीति से निर्धारण करेगा या उप कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से निर्धारण करायेगा और ऐसे निर्धारण को विशेष न्यायालय को प्रस्तुत करेगा.

5ग. सक्षम प्राधिकारी की कुछ मामलों में धन व अन्य सम्पत्ति को जब्त या कुर्क करने की शक्ति.- (1) जहां सक्षम प्राधिकारी को विश्वास करने का कारण हो कि किसी वित्तीय स्थापना द्वारा धारा 7 में निर्दिष्ट कोई धन या अन्य सम्पत्ति को छिपाने, स्थानांतरित या अन्यथा किसी भी रीति से ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति को संव्यवहारित करने की संभावना है जिसका परिणाम उसका व्ययन होगा या धारा 10 के अन्तर्गत अपराध किया गया है, तो वह ऐसे विश्वास के कारणों को व्यक्त करते हुये, ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति को जब्त करने के लिये लिखित में आदेश कर सकेगा :

परन्तु जहां ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति को जब्त कर पाना व्यवहारिक नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी कुर्क करने का आदेश देते हुये निर्देशित करेगा कि ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति को, उनकी पूर्व अनुमति के अतिरिक्त, स्थानांतरित या अन्यथा व्ययन नहीं करेगा और ऐसे आदेश की प्रति संबंधित वित्तीय स्थापना को तामील करायेगा.

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक उक्त आदेश को, उसके जारी होने की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर, विशेष न्यायालय आदेश द्वारा संपुष्टि नहीं कर देता."

5. (1) मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में, शब्द "बिना सक्षम प्राधिकारी को" के पश्चात्, शब्द "ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से जो विहित किया जाये" अन्त:स्थापित किया जाये. **धारा 6 का संशोधन.**

(2) मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(2क) यदि उपधारा (1) या (2) के अधीन सूचित किन्हीं विशिष्टियों के संबंध में कोई भी परिवर्तन होता है, तो संबंधित वित्तीय स्थापना का यह कर्तव्य होगा कि वह, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे परिवर्तन के सात दिवस के भीतर सूचित करे."

(3) मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(5) यदि कोई वित्तीय स्थापना, उपधारा (1), (2), (2क), (3) या (4) के उपबंधों या उक्त किसी उपधाराओं के संबंध में इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करती

है, तो सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक उल्लंघन होने की घटना पर एक लाख रुपये तक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम उल्लंघन की घटना के पश्चात् उल्लंघन जारी रहने के दौरान अधिकतम तीस दिनों की अवधि तक प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा."

(4) मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(6) यदि वित्तीय स्थापना या कोई व्यक्ति जो ऐसे वित्तीय स्थापना के प्रबंधन या कारोबार या क्रियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी है, पर्याप्त कारण के बिना, उपधारा (5) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश द्वारा निर्देशित जुर्माने की राशि भुगतान करने में विफल रहती है या उक्त जुर्माने की राशि भुगतान कर, उपधारा (1), (2), (2क), (3) या (4) के उपबंधों या उक्त किसी उपधाराओं के संबंध में इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन जारी रखती है या उक्त उपधाराओं के अन्तर्गत गलत या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करता है, तो विशेष न्यायालय द्वारा उसे कारावास से जो तीन माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जायेगा."

धारा 7 का संशोधन. 6. (1) मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सक्षम प्राधिकारी को-

(एक) निक्षेपकों से या अन्यथा प्राप्त शिकायत पर यह समाधान हो जाए कि कोई वित्तीय स्थापना निम्नलिखित को करने में विफल हो चुकी है-
- (क) परिपक्वता के बाद निक्षेप वापस करने, या
- (ख) ब्याज या अन्य आश्वासित लाभ देने, या
- (ग) ऐसे निक्षेप के विरुद्ध आश्वासित सेवा देने,

(दो) स्वविवेक से यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वित्तीय स्थापना, निक्षेपकों को धोखा देने के आशय से प्रकल्पित रीति से उनके हित के लिए हानिकर कार्य कर रही है या यह समाधान हो कि ऐसी वित्तीय स्थापना की संभावना नहीं है कि वह-
- (क) निक्षेप वापस करेगी, या
- (ख) ऐसी निक्षेप राशि पर अर्जित ब्याज का भुगतान करेगी, या
- (ग) आश्वासित लाभ या ऐसी सेवायें को उपलब्ध कराने वाली नहीं है जिनके लिए निक्षेप प्राप्त किया गया है ;

तो वह ऐसे वित्तीय स्थापना के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से, कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के बाद ऐसे धन या अन्य संपत्ति, जिसके संबंध में विश्वास हो कि उस वित्तीय स्थापना द्वारा या तो अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वित्तीय स्थापना द्वारा संग्रहित निक्षेप से अर्जित किया है, कुर्की करने के लिए अंत:कालीन आदेश पारित कर सकेगा और क्षेत्र के स्थानीय समाचार पत्रों में आदेश का प्रकाशन करायेगा :

परन्तु यदि यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त यथा निर्दिष्ट ऐसा धन या अन्य संपत्ति, कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है या निक्षेप की प्रतिसंदाय के लिए पर्याप्त नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी-
- (क) प्रथमत:, उक्त वित्तीय स्थापना की कोई अन्य सम्पत्ति, और
- (ख) द्वितीयत:, उक्त वित्तीय स्थापना के संप्रवर्तक, निदेशक, भागीदार, प्रबंधक या सदस्यों की व्यक्तिगत आस्तियां,

कुर्क करेगा."

(2) मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में, अंक "15" के स्थान पर शब्द "तीस" प्रतिस्थापित किया जाये.

(3) मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित" को विलोपित किया जाये.

(4) मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (6) को विलोपित किया जाये.

(6) मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(11) उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो सौ चालीस दिवस की अवधि के भीतर, विशेष न्यायालय, आदेश पारित करेगी.

(12) धारा 10 के अधीन प्रत्येक दंडनीय अपराध, संज्ञेय एवं अजमानतीय होंगे."

7. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :- नवीन धारा 7क का अन्त:स्थापन.

"7क. **कुर्क किये गए सम्पत्ति का अंतरण प्रतिबंधित और शून्य होगा.**-जब अधिनियम की धारा 7 के अधीन किसी वित्तीय स्थापना के धन या अन्य सम्पत्ति को कुर्क किये जाने का अंत:कालीन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, तो ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को किसी भी रीति में, चाहे जो भी हो, अन्तरित नहीं किया जाएगा :

परन्तु कोई अन्तरण, जो किया गया है या हो चुका है, आरम्भत: शून्य होगा."

8. (1) मूल अधिनियम की धारा 10 में, शब्द और अंक "पांच लाख रुपये" और "10 लाख रुपये", के स्थान पर क्रमश: शब्द "सात लाख रुपये" और "पन्द्रह लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 10 का संशोधन.

(2) मूल अधिनियम की धारा 10 में, शब्द "सुविचारित रीति से" को विलोपित किया जाये.

9. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् ,निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :- नवीन धारा 10क का अन्त:स्थापन.

"10क. **भ्रामक विज्ञापन के लिए जुर्माना.**-यदि कोई वित्तीय स्थापना निक्षेप आमंत्रित करने हेतु कोई विज्ञापन जारी करती है या जारी करवाती है, जिसमें मिथ्या निरूपण या जिससे लोगों को भ्रमित करने की सम्भावना हैं, अन्तर्विष्ट है, तो सक्षम प्राधिकारी, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् एक लाख रुपये तक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा :

परन्तु विज्ञापन के दूसरे और बाद के अपराध की घटना के लिए अधिरोपित जुर्माने की राशि दो लाख रुपये तक हो सकेगी.

स्पष्टीकरण-शब्द "विज्ञापन" में कोई भी नोटिस, ब्रोसर, पर्चे, परिपत्रों, शो कार्ड्स, सूचीपत्र, होर्डिंग्स, घोषणापत्र, पोस्टर्स, समाचार पत्र में प्रविष्ट, तस्वीर, चलचित्र एवं अन्य कोई विषय जिसे प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविजन कार्यक्रमों या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाता हो, सम्मिलित हैं."

10. (1) मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द "अपराध का विचारण" के पूर्व, कोष्टक और अंक "(1)" अन्त:स्थापित किया जाय. धारा 13 का संशोधन.

(2) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(2) विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करते समय, इस अधिनियम के अधीन अपराध से भिन्न किसी अन्य अपराध, जिसके लिये अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के अधीन दोषारोपित किया गया हो, उसका भी विचारण कर सकेगा."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत: छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 वित्तीय स्थापनाओं में जनता द्वारा किये गये निक्षेपों का संरक्षण करने और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था :

और यत: भारत सरकार, द्वारा विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति संसूचित करते समय, यह भी अवगत कराया गया कि माननीय राष्ट्रपति ने प्रस्तावित विधेयक पर अनुमति इस शर्त के अधीन दी है कि छत्तीसगढ़ सरकार इसके प्रभाव में आने से 6 माह के भीतर सुझावित संशोधनों को शामिल करेगी.

और यत: माननीय उच्चतम न्यायालय ने के. के. भास्करन वि. तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, (AIR 2011 SC 1485) के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कुछ वित्तीय स्थापनाएं, न ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 (1934 का सं. 2) और न ही बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का सं. 10) के अधीन आती है, जो कपटपूर्ण गतिविधियों द्वारा जमाकर्ताओं को वृहद स्तर पर धोखा दे रहे हैं जिसके कारण वित्तीय स्थापनाएं लोक नियंत्रण से बच जाते हैं और इसलिए, यह विषय संविधान की अनुसूची सात की सूची दो की प्रविष्टि क्रमांक 1, 30 तथा 32 के अधीन आता है अतएव, यह विषय लोक व्यवस्था का है :

अतएव, अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, उक्त अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत.

रायपुर

दिनांक 13 दिसम्बर, 2015

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :-

खण्ड 2(3)	वित्तीय स्थापना में कोई भी संस्था को सम्मिलित नहीं करने के लिए उसे राज्य सरकार, द्वारा अधिसूचना से विनिर्दिष्ट करने हेतु.
खण्ड 4	सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय स्थापना की आस्तियों और निक्षेप देनदारियों का विहित रीति से निर्धारण करने हेतु.
खण्ड 5(1)	सूचना प्रदान करने हेतु प्ररूप और रीति विहित करने हेतु.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2015) की धारा 2, 4, 5, 6, 7, 10 और 13 का सुसंगत उद्धरण

धारा 2
परिभाषाएं.

इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'मुख्य न्यायाधीश' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश.

(ख) 'राज्य' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.

(ग) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार.

(घ) 'सक्षम प्राधिकारी' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी.

(ङ) 'निक्षेप' से अभिप्रेत है, निक्षेप जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1 (ख ख) में परिभाषित किया गया है.

(च) 'जमाकर्ता' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कंपनी में निक्षेप करता है, और उसमें जमाकर्ता के वारिस, कानूनी उत्तराधिकारी, प्रशासक या समनुदेशिति शामिल होते हैं.

(छ) 'जिला मजिस्ट्रेट' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 के अधीन जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो.

(ज) 'वित्तीय स्थापना' से अभिप्रेत है, किसी योजना या किसी समझौते के अधीन या किसी अन्य रीति में निक्षपों को प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ या कोई फर्म या कोई कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन निगमित हो, किन्तु इसमें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के स्वामित्व के या उसके नियंत्रणाधीन निगम या कोई सहकारी सोसायटी या बैंकिंग कंपनी जैसा कि बैंकिंग कंपनी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का सं. 10) की धारा 5 में परिभाषित बैंकिंग कंपनी में सम्मिलित नहीं है.

(झ) 'कपटपूर्ण व्यतिक्रम' से अभिप्रेत है किसी वित्तीय स्थापना द्वारा परिपक्वता पर किसी प्रतिसंदाय का कपटपूर्ण व्यतिक्रम करना और/या ब्याज के रूप में सुविधा, बोनस लाभ या दिए वचन के रूप में देय या निक्षेप पर आश्वस्त की गई सुविधाओं को परिपक्वता पर या कपटपूर्ण तरीके से विफल होती है.

(ञ) विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित न्यायालय.

धारा 4
विशेष न्यायालय.

(एक) राज्य सरकार, मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्रित अधिसूचना द्वारा इतने विशेष न्यायालय अधिसूचित कर सकेगी जितने की इस अधिनियम के अधीन मामले के विचारण के लिए ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये आवश्यक हों.

(दो) कोई भी व्यक्ति तब तक विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिये अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) के अधीन सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न रह चुका हो.

धारा 5
सक्षम प्राधिकारी.

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी प्राधिकारी को जो जिला मजिस्ट्रट की पद श्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी.

धारा 6
कारोबार की सूचना.

(1) प्रत्येक वित्तीय स्थापना जो सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में पहले से ही अपना व्यवसाय कर रही है, अधिनियम के प्रारंभ होने के दो माह के भीतर अपने कारोबार के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सूचना देगी.

(2) कोई भी वित्तीय स्थापना सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में बिना सक्षम प्राधिकारी को सूचित किए, अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं करेगी.

(3) वित्तीय स्थापना, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षकीय प्राधिकारी के अधीन नियत कालिक विवरणियां अनधिक रूप से प्रेषित किए जाने के लिए अपेक्षित है.

(4) सक्षम प्राधिकारी, स्व-विवेक से किसी भी समय, सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में करोबार करने वाली किसी भी वित्तीय स्थापना को निर्देश दे सकेगा कि वह स्थापना द्वारा प्राप्त किए गए निक्षेपकों से संबंधित या संसक्त ऐसे विवरण, जानकारी या विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में, ऐसे अंतरालों तथा ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करें जैसा कि साधारण या विशेष आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(5) जो कोई इस धारा के उपबंधों का उल्लघन करेगा उसे तीन माह तक का कारावास या रुपये पांच हजार तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा. साथ ही वित्तीय स्थापना को भी जुर्माना देना होगा जो कम से कम रुपये पच्चीस हजार होगा और अधिकतम रुपये पचास हजार तक बढ़ाया जा सकेगा.

धारा 7
निक्षेपों की वापसी में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्तियों की कुर्की. कुर्की के संबंध में विशेष न्यायालयों की शक्तियां.

(1) जहां सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो :-

(एक) निक्षेपकों या अन्य किसी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर, कि किसी वित्तीय स्थापना के कपटपूर्ण तरीके से व्यतिक्रम किया है.

(दो) ऐसी वित्तीय स्थापना द्वारा निक्षेपकों को धोखा देने के इरादे से, सोचे समझे तरीके से कार्य कर रही है और वह वित्तीय स्थापना निक्षेप की गई राशि को वापस नहीं करेगी, सक्षम प्राधिकारी ऐसे वित्तीय स्थापना के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से, कोई धन या अन्य संपत्ति की, जो या तो वित्तीय स्थापना के नाम से हो या किसी अन्य व्यक्ति या स्थापना के नाम से उपाप्त की गई अभिकथित है, या यदि यह प्रगट होता है कि, ऐसे धन या अन्य संपत्ति कुर्की के लिये उपलब्ध नहीं है, या वह निक्षेपों के प्रतिसंदाय के लिये पर्याप्त नहीं है, तो उक्त वित्तीय स्थापना या उक्त वित्तीय स्थापना के संप्रवर्तक, भागीदार निदेशक, प्रबंधक या सदस्य की ऐसी अन्य संपत्ति भी जैसी कि सक्षम प्राधिकारी उचित समझें, कुर्की करते हुए अंत:कालीन आदेश पारित कर सकेगा और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवा सकेगा.

(2) सक्षम प्राधिकारी कुर्की के अंत:कालीन आदेश का आत्यंतिक बनाने के लिये विशेष न्यायालय को उसके द्वारा पारित किए गए आदेश से 15 दिन के भीतर आवेदन करेगा.

(3) सक्षम प्राधिकारी किसी विशेष न्यायालय या पदाभिहित न्यायालय को या किसी अन्य न्यायिक फोरम को जिसे इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति के किसी धन या संपत्ति या आस्तियों अथवा दृष्यमान धन या संपत्तियों या आस्तियों के संबंध में किसी विवाद्यक या विषय का न्यायनिर्णय करने के लिए किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा किसी समरूप अधिनियमित के अधीन स्थापित या गठित या शक्तियों से न्यस्त किया गया है, यथास्थिति उक्त विशेष न्यायालय का पदभिहित न्यायालय या न्यायिक फोरम की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति के किसी धन या संपत्ति या आस्तियों या दृष्यमान धन या संपत्ति या आस्तियों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित आदेश पारित करने के लिए भी आवेदन कर सकेगा.

(4) धारा 7 की उप धारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर विशेष न्यायालय, किसी वित्तीय स्थापना के या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, उससे यह कारण दर्शाने की अपेक्षा करने की सूचना जारी करेगा कि क्यों न कुर्की के आदेश का आत्यंतिक बना दिया जाए और ऐसी सूचना के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आवेदन को भी संलग्न किया जाएगा.

(5) उप धारा (1) के अधीन कुर्क की गई संपत्ति में किसी भी प्रकार का हित या दावा रखने वाला कोई भी व्यक्ति कुर्की आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर, विशेष न्यायालय को आवेदन/आक्षेप करने की सूचना जारी करेगा कि क्यों न कुर्की के आदेश का आत्यंतिक बना दिया जाए, और ऐसी सूचना के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आवेदन को भी संलग्न किया जाएगा.

(6) आवेदन/आक्षेप की सुनवाई के लिये व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान लागू होंगे.

(7) यदि विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व कोई कारण नहीं दर्शाया गया है और कोई आक्षेप नहीं किया गया है तो विशेष न्यायालय तुरंत कुर्की के अंतरिम आदेश को आत्यंतिक आदेश बनाते हुए एक आदेश पारित करेगा.

(8) विशेष न्यायालय अंतिम आदेश पारित करते समय कुर्की का आत्यंतिक या अंशत: आदेश दे सकेगा. इस प्रकार का आदेश देते समय विशेष न्यायालय ने कुर्क की गई संपत्ति के उस भाग को जो निक्षेपकों की प्रतिसंदाय हेतु आवश्यक हो, निर्मुक्त नहीं कर सकेगा.

(9) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन किए जाने पर विशेष न्यायालय ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जैसे कि कुर्क की गई संपत्ति में से वसूल किए गए राशि का संवितरण निक्षेपकों को किया जावेगा.

(10) जहां किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा समरूप अधिनियमिति के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत या विनिर्दिष्ट किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे कि राज्य सरकार द्वारा कुर्क किए गए किसी धन या संपत्ति या आस्तियों पर नियंत्रण करने के लिए सशक्त किया गया है, कोई आवेदन किया जाता है, वहां विशेष न्यायालय उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगा मानो कि ऐसा आवेदन इस अधिनियम के अधीन किया गया है और ऐसी अधिनियमिति के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे आवेदन पर समुचित आदेश या निर्देश पारित करेगा.

धारा 10
वित्तीय स्थापना द्वारा व्यतिक्रम के लिए दण्ड.

जहां कोई वित्तीय स्थापना कपटपूर्ण व्यतिक्रम करती है या कोई वित्तीय स्थापना निक्षेपकों को कपटवंचित करने के आशय से सुविचारित रीति से कार्य करती है तो प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें ऐसी वित्तीय स्थापना के प्रबंधन के लिए या करोबार या क्रियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक या कोई अन्य व्यक्ति या कोई कर्मचारी सम्मिलित है, दोष सिद्ध होने पर ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु इसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किन्तु इसे पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडित किया जाएगा और ऐसी वित्तीय स्थापना ऐसे जुर्माने की भी दायी होगी जो 3 लाख रुपये से कम नहीं होगा किन्तु इसे 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा.

धारा 13
अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां.

अपराध का विचारण करते समय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) में वारंट के लिये विचारण हेतु निहित की गई प्रक्रिया लागू होगी और विशेष न्यायालय विचारण के लिये मामले को उसे सुपुर्द किए बिना अपराध का संज्ञान कर सकेगा.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.